

श्री कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में गावाहों की सूची बनाई जाएगी



मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संर्धे न्यास की बैठक ठाकर राजा स्नेह होकर इस आशय की घोषणा की, जिसमें गवाही हेतु वृद्धावन सहित ब्रज के संत, आचार्य सभी संप्रदाय के मट्टवार्ष, मानीय हाईकोर्ट में उपस्थित होकर तत्व सहित

ऐतिहासिक प्रमाण देंगे, आज सभी संतो भागवत आचार्य ने एक जुट होकर इस आशय की घोषणा की, बैठक को संबोधित करते हुए मामले के हेतु पक्षकार दिनेश शर्मा के मट्टवार्ष, मानीय हाईकोर्ट में उपस्थित होकर तत्व सहित

वजह से सभी संत महानुभावों के नाम लिखे गए हैं जो समय-समय पर उपस्थित होकर के संपूर्ण न्यायालय में प्रस्तुत करें, महंत मान डॉ अदित्य आनंद जी, गौड़ीय वैष्णव श्रीधराचार्य जी महाराज, पुष्टिमार्या संत, श्री हरि सुरेशाचार्य,

संचालन प्रवक्ता राजेश पाठक ने भगवान् श्री कृष्ण कि प्रत्येक तीला के साक्ष्य के आधार पर देने को तैयार हैं, भगवान् योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्म भूमि पूर्णतया मुक्त होगी, मुगलकालीन इमारत अतिशीघ्र हटेगी, बैठक का

शास्त्री, जमुना देवी शर्मा, सत्यवन शर्मा, रमेश्वर दशल शर्मा, रामबाबू शर्मा, विष्णु बृजवासी, ईश्वर चंद्र रावत, राधीय संघठन महामंडी अशवनी शर्मा, कपिल चतुर्वेदी, करुणा शंकर तिवेदी, सुभाष तिवारी, रिचा शर्मा, आदि उपस्थित

रक्तवीर संस्था ने लगाया थैलीसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान शिविर

डॉ. गोपाल चतुर्वेदी

वृन्दावन। गौरा नगर कॉलोनी क्षेत्र स्थित चार संप्रदाय आश्रम में 78 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्तवीर संस्था द्वारा श्रीवृन्दावन बिहारी सेवा स्ट्रेट व आर.की.पी.सी. फिल्म हार्मोनिक्स टेलीविजन से 57 वां रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया शिविर का शुभारम्भ चार संप्रदाय आश्रम के महंत ब्रजबिहारी दास महाराज व स्वामी ओंजीमानंद ने डाकुर श्री बैंक बिहारी महाराज के चिकित्सक के सम्पर्क तेज प्रवालित करते किया। महंत ब्रजबिहारी दास महाराज ने कहा कि रक्त दान के बीच में अग्निरुद्र रक्तवीर संस्था थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए समय-समय पर रक्त उपलब्ध कराकर जो सेवा



कार्य कर रही है, हम उसकी भूमि-भूमि प्रशस्ता करते हैं। ब्लड बैंक प्रभारी शिखा चाहर ने बताया कि थैलीसीमिया ग्रसित बच्चों को हर दिन ये सेवा युनिट ब्लड चढ़ता है इस बीमारी को जागरूकता से ही खत्म किया जा सकता है। रक्तवीर संस्था के साथ रक्तदान शिविर का अनुभव

बहुत अच्छा रहा है। मथुरा जिले में लगभग 60 थैलीसीमिया ग्रसित बच्चे हैं जिनके लिए आवश्यकता पड़ने पर पर यह संस्था रक्त दान के लिए सदैव तपर रहती है। रक्त दान शिविर में राजेश खेडलवाल, पूरम अग्रवाल, डॉ. शावकारत शर्मा, दीक्षा, शायमसुंदर सहित 35 रक्तवीर साथियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी ऋत्तिक अग्रवाल, श्याम वशेष, संजीव सिंह (बाबा), मनोज अग्रवाल, संस्थापक मुकेश अग्रवाल और एम.बी. शर्मा ने कहा कि उनकी संस्था पूर्ण निया और समर्पण के संबोधी सेवा बच्चों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। स्वामी ओंजो मायानंद ने कहा कि रक्तवीर संस्था के साथ रक्तदान शिविर को स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

संचालन प्रवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि हम न्यायालय में भगवान् श्री कृष्ण कि प्रत्येक तीला के साक्ष्य के आधार पर देने को तैयार हैं, भगवान् योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्म भूमि पूर्णतया मुक्त होगी, मुगलकालीन इमारत अशवनी शर्मा, कपिल चतुर्वेदी, दामोदर शास्त्री, करुणा शंकर शास्त्री, विष्णु शर्मा, आदि उपस्थित

संस्थापक मुकेश अग्रवाल और एम.बी. शर्मा ने कहा कि उनकी संस्था पूर्ण निया और समर्पण के संबोधी सेवा बच्चों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। स्वामी ओंजो मायानंद ने कहा कि रक्तवीर संस्था के साथ रक्तदान शिविर का अनुभव

समेलन, हारिनाम संकीर्तन, रसर भजन संचालन एवं संत - ब्रह्माचारी संघ वेश सेवा (भंडारा) आदि के काव्यक्रम होंगे। महोत्सव के व्यवस्थापक रामेश्वर सिंह भाऊ व देवीसिंह कुंतल ने सभी से इस महोत्सव में उपस्थित होने का शर्ति हेतु वृहद महायज्ञ, संत-विद्वत् ने बताया है कि श्रीकपिल बुद्धी देवी ने बताया है कि श्रीकपिल कुटीर संचालन एवं संत - ब्रह्माचारी संघ वेश सेवा (भंडारा) आदि के काव्यक्रम होंगे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश आदेश का अनुजान कराए। 1939 के मुसिक के आदेश से भीड़ प्रवंधन, मरिं प्रवंधन देख रहा है, जो रिसीवर द्वारा जिरि 1939 से चल रही मंदिर व्यवस्था के तहत सिविल जन जननिवार डिवीजन मथुरा के परामर्श से सीसीटीवी कैमरे लगाने की गई दी है। हाईकोर्ट ने डीएम को दिया आदेश हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह सिविल जन नियोजित रक्तदान का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार की शेष योजना को अनुमति दी है। कोर्ट ने रिसीवर के जरिए 1939 से चल रही मंदिर व्यवस्था के तहत सिविल जन जननिवार डिवीजन मथुरा के परामर्श से सीसीटीवी कैमरे लगाने की गई दी है। हाईकोर्ट ने डीएम को दिया आदेश हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह सिविल जन नियोजित रक्तदान का आदेश दिया है। 1939 के मुसिक के आदेश से भीड़ प्रवंधन, मरिं प्रवंधन देख रहा है, जो रिसीवर द्वारा जिरि 1939 से चल रही मंदिर व्यवस्था के तहत सिविल जन जननिवार डिवीजन का आदेश दिया है। हालांकि इसे हाईकोर्ट में जिलाधिकारी दी गई है। कोर्ट ने कहा- अभी सरकारी योजनाओं में शहरी देख रही है तो उसके लिए जिलाधिकारी को कैद देनी चाही दी जाएगी। योजना की अग्रिमी सुनवाई दी गई है। सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। अब सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। अब सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थे। इनका भाग नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने अंजी देवी नियोजित में संशोधन की मांग की गई है लोगों ने सरकार की मांग पर आयोजित की और आदेश आदेश आदेश की अनुमति दी है। सरकार को भीड़ प्रवंधन पर नियंत्रण जारी किए कोर्ट ने 8 नवंबर 23 को सरकार को भीड़ प्रवंधन को लेकर कुछ नियंत्रण जारी किए थ